रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254667 CG-DL-E-12062024-254667

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2148]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2250(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 2 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा हैं;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5329(अ), तारीख 14 दिसबंर, 2023 द्वारा से, तारीख 15 दिसबंर, 2023 से छह मास तक की अविध के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार करने की अपेक्षा करता है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (आठवां आदेश) 2024 है।
 - (2) यह 15 जून, 2024 से प्रवृत होगा।

3496 GI/2024 (1)

2. केंद्रीय सरकार, बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 15 जून, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा के रुप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2250(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the 'Banking' industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government had declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 15th December, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, part-II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 5329 (E), dated the 14th December, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

- 1. Short title and Commencement. (1) This order may be called the Public Utility Services (Eighth Order) 2024.
 - (2) It shall come into force on the 15th day of June, 2024.
- 2. The Central Government hereby declares the services engaged in the 'Banking' industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from 15th June, 2024.

[F. No. S-11017/5/97-IR(PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.